न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2022-273(GCMS2022-437) RTA225 Kishansingh Vs Laharkanwar etc

किशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी कनोडिया पुरोहितान,
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. लहरकंवर पत्नी तुलछसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
2. माधोसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
3. भूरसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
4. रामसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
5. रणजीतसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
6. सायरदेवी पत्नी जसवंतसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
7. रावलसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
8. चन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित,
   निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
   जिला जोधपुर
9. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर

10. अगरकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
11. रावलसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
12. खेतसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
13. सामतकंवर पत्नी अनोपसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
14. किशोरसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
15. आईदानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
16. गुमानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
17. घेवरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
18. ओमप्रकाश पुत्र अमानसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
19. हेमीकंवर पत्नी अमानसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
20. नखतसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
21. रेवंतसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,

अपील प्राधिकारी

जिला जोधपुर

22. पदमसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
23. जगमालसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
24. माधोसिंह पुत्र गोमदसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
25. शंकरसिंह पत्रु बादरसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील देचू,
जिला जोधपुर
26. स्वरूपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील देचू,
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 27 सितम्बर 2022 राजस्व प्रकरण संख्या 29/2020 शंकरसिंह बनाम लहरकंवर इत्यादि

उपस्थित-

श्री अक्षय कुमार दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 से 16, 18 से 24
श्री नाहरसिंह सोलंकी एवं श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 26

नि र्ण य

दिनांक : 05 दिसम्बर, 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 29/2020 शंकरसिंह बनाम लहरकंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 30 सितम्बर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 से 23 की ओर से अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 24 व 25 के खिलाफ ग्राम कनोडिया पुरोहितान स्थित आराजी खसरा संख्या 109 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 169 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 305 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 669 रकबा 78 बीघा 12 बिस्वा, ग्राम छतरपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 548 रकबा 48 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 569 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 622 रकबा 343 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 624 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 625 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 626 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 651/1 रकबा 65 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 649 रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा एवं ग्राम हस्तिनापुर स्थित आराजी खसरा संख्या 730 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 832 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत राजस्व वाद की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी शंकरसिंह व किशनसिंह (वर्तमान अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 25) ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि मूल वाद के साथ वादीगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत जारी आदेश में मात्र प्रतिवादीगण (वर्तमान अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 25) को पाबन्द किया गया है, इस कारण वादीगण उक्त आदेश की आड में मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमदा है। अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उन्हें भी पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत दिनांक 16 जून 2020 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत उभयपक्षकारान को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। उक्त अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि पेशी दर पेशी बढायी जाती रही। इसके बाद दिनांक 22 सितम्बर 2022 को वर्तमान रेस्पो. स्वरूपसिंह की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया गया कि वर्तमान रेस्पो. शंकरसिंह द्वारा आराजी खसरा संख्या 305 कुल रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान वर्तमान रेस्पो. स्वरूपसिंह, जो कि मूल वाद में पक्षकार है, के हक में कर दिया गया है, साथ ही मूल वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र अनवान लहरकंवर बनाम माधोसिंह में पारित अंतरिम स्थगन आदेश उक्त खसरा नम्बर की भूमि बाबत दिनांक 19 सितम्बर 2022 को अपास्त किया जा चुका है। अतः आलौच्य स्थगन प्रार्थनापत्र शंकरसिंह बनाम लहरकंवर में खसरा संख्या 305 बाबत पारित स्थगन आदेश अपास्त किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी किशनसिंह (वर्तमान अपीलाण्ट) की ओर से भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि आलौच्य प्रार्थनापत्र एवं मूल वाद अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने बाबत उसकी ओर से दिनांक 23 सितम्बर 2022 को जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया है, अतः आलौच्य प्रार्थनापत्र एवं मूल वाद में अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रार्थनापत्रों बाबत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 पारित कर स्वरूपसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी

अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर खसरा संख्या 305 बाबत जारी स्थगन आदेश अपास्त कर दिया तथा किशनसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शंकरसिंह बनाम लहरकंवर इत्यादि उनवानी प्रार्थनापत्र में स्वरूपसिंह पक्षकार नहीं था, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि विधि के तहत जहां सीपीसी के अन्य प्रावधान उपलब्ध हो, वहॉ धारा 151 सीपीसी के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार ही नहीं था। स्वरूपसिंह की ओर से प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का अपीलाण्ट की ओर से जबाब पेश कर प्राथमिक आपत्तियां भी उठायी गयी, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाब एवं प्राथमिक आपत्तियों को रिकार्ड पर ही नहीं लिया गया और न ही उनका कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया गया है। संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के हक-हिस्सा बाबत मूल वाद में विनिश्चयन होने के पूर्व एवं अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए मूल वाद की कार्यवाही के दौरान किसी भी सहखातेदार द्वारा किया गया बेचान/हस्तान्तनरण विधिसम्मतः नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट कर दिया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन मूल वाद एवं स्थगन प्रार्थनापत्र अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया जा चुका है, अतः मामले में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं होने से अपास्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि विकेता शंकरसिंह वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है, जिसके द्वारा मात्र अपने हिस्से का बेचान स्वरूपसिंह के पक्ष में किया गया है, जो किसी भी प्रकार से विधि-विरुद्ध नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने न्यायालय का ध्यान 2019(2) आरआरटी 777, 2009(1) आरआरटी 25 एवं 2010(2) आरआरटी 1392 उद्धरित करते हुए कथन किया कि रिकार्डेड सहखातेदार को अपने हिस्से का बेचान करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। मूल वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में जारी स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2022 को खसरा संख्या 305 के संबंध में अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रस्तुत मूल राजस्व वाद के साथ एक स्थगन प्रार्थनापत्र लहरकंवर बनाम माधोसिंह व अन्य वादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण लहरकंवर बनाम माधोसिंह संस्थित किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। इसके बाद प्रतिवादी-पक्ष की ओर से एक अन्य स्थगन प्रार्थनापत्र शंकरसिंह व अन्य बनाम लहरकंवर इत्यादि पेश कर वादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत पारित अंतरिम स्थगन आदेश के जरिये मात्र प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने का उल्लेख करते हुए पेश किया गया, जिसके आधार पर अलग प्रकरण संस्थित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत दिनांक 16 जून 2020 को अंतरिम आदेश पारित किया कि "... भूमि में उभयपक्ष किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे तथा न ही भूमि का विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करे। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे..."। उक्त अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि पेशी दर पेशी बढायी जाती रही। **जाहिर है कि एक ही वाद में वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत दो अलग-अलग स्थगन प्रार्थनापत्रों में अलग-अलग दिनांक को आदेश पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये से पहले जारी किया गया स्थगन आदेश स्वतः ही बाद में जारी स्थगन आदेश में मर्ज हो गया।** मगर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत शंकरसिंह बनाम लहरकंवर के प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27

सितम्बर 2022 को आराजी खसरा संख्या 305 बाबत उक्त आदेश वर्तमान रेस्पो. स्वरूपसिंह, जो कि उक्त प्रार्थनापत्र (शंकरसिंह व अन्य बनाम लहरकंवर इत्यादि) में पक्षकार ही नहीं है, द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए इस आधार पर अपास्त कर दिया गया कि मूल वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र लहरकंवर बनाम माधोसिंह के प्रकरण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2022 को खसरा संख्या 305 बाबत जारी अंतरिम स्थगन आदेश खसरा संख्या 305 बाबत दिनांक 19 सितम्बर 2022 को अपास्त किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि मूल वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र (लहरकंवर बनाम माधोसिंह व अन्य) में पारित अंतरिम आदेश खसरा संख्या 305 बाबत दिनांक 19 सितम्बर 2022 को अपास्त किये जाने के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र (शंकरसिंह व अन्य बनाम लहरकंवर इत्यादि) की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही दो वर्षो से अधिक अवधि से विभिन्न खसरा नम्बरान की आराजियात बाबत चले आ रहे अंतरिम स्थगन आदेश को मात्र खसरा संख्या 305 की भूमि बाबत अपास्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण ही प्रदर्शित किया गया है।

इतना ही नहीं, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के एक ही राजस्व मूल वाद की कार्यवाही में वादग्रस्त आराजियात बाबत दोनों पक्षों की ओर से दो अलग-अलग स्थगन प्रार्थनापत्र पेश होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों स्थगन प्रार्थनापत्रों बाबत अलग-अलग प्रकरण संस्थित किये जाकर (उन्हें समेकित किये बिना) कार्यवाही करते हुए अलग-अलग दिनांक में आदेश पारित करने के

राजस्व अपील प्राधिकारी

कारण आदेशों/निर्देशों की समरूपता प्रतिकूलरूपेण प्रभावित होकर असमन्जस्य की स्थिति उत्पन्न होना भी प्रकट होता है (यथा दिनांक 19 सितम्बर 2022 से 27 सितम्बर 2022 की अवधि में आराजी खसरा संख्या 305 अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा शंकरसिंह व अन्य बनाम लहरकंवर आदि में प्रभावी होना तथा लहरकंवर बनाम माधोसिंह के प्रकरण में अपास्त कर दिया जाना) जिससे न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचने में अनावश्यक जटिलताएँ उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चूंकि एक ही वाद में वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत दो अलग-अलग स्थगन प्रार्थनापत्रों में अलग-अलग दिनांक को आदेश पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये से पहले जारी किया गया स्थगन आदेश स्वतः ही बाद में जारी स्थगन आदेश में मर्ज हो चुका था, अतः प्रथम आदेश में उल्लेखित वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 305 बाबत प्रथम आदेश अपास्त किये जाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत पारित प्रथम स्थगन आदेश बाद में पारित द्वितीय स्थगन आदेश में मर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हो जाने के तथ्य एवं तत्संबंधित विधिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्रों का आगामी दो माह की अवधि में निस्तारण किया जावे। तब तक खसरा सख्या 305 के संबंध में भी राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति यथावत बनाये रखी जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर